एस0एस0वी0 कॉलिज, हापुड़

S.S.V. College, Hapur

(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध)

दिनांकः 19.07.2024

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शून्य शुल्क पर प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश

(स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं पर यह योजना लागू नहीं होगी)

निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी–928/स0क0/शिक्षा–अ/4/159–2/2024–25 दिनांक 20 जून, 2024 व कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हापुड़ के पत्रांकः सी–1057/स0क0/द0छा06/4/2024–25 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुपालन में अनुसुचित जाति एवं जनजाति के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं परास्नातक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में **महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मेरिट में नाम आने के पश्चात शून्य शुल्क में प्रवेश लेने के लिए निम्नलिखित पत्राजात प्रवेश के समय मूल रूप में दिखाना अनिवार्य होगा तथा यह भी सूच्य है कि शून्य शुल्क पर प्रवेश लेने के पश्चात छात्र–छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024–25 में आवेदन करना भी अनिवार्य होगा।** शून्य शुल्क से प्रवेश लेने के पश्चात छात्रवृत्ति में आवेदन न करने पर छात्र–छात्रा का परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं किया जायेगा/प्रवेश निरस्त की प्रक्रिया भी अमल में लायी जायेगी तथा छात्र–छात्रा को महाविद्यालय में कक्षा का समस्त प्रवेश शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

- प्रवेश लेने से पूर्व छात्र–छात्रा को एक 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र जमा कराना होगा। (अनुबन्ध पत्र का नमूना प्रारूप महाविद्यालय अनु0जाति एंव अनु0जनजाति छात्रवृत्ति समिति से प्राप्त कर लें)
- हाईस्कूल अंकतालिका।
- इण्टरमीडिएट अंकतालिका।
- गतवर्ष की उत्तीर्ण अंकतालिका।
- आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र अनु0जाति/जनजाति के आवेदको के लिए दो लाख पचास हजार तक का ही मान्य होगा, जिनके अभिभावको की आय उक्त अनुसार नहीं होगी ऐसे छात्र–छात्रा शून्य शुल्क पर प्रवेश हेतु व छात्रवृत्ति का फार्म भरने के पात्र नहीं होंगे) ***आय प्रमाण पत्र 01 जुलाई, 2022 से ही मान्य होगा ।***
- जाति प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड। *(आधार कार्ड ,बैंक खाता संख्या व मोबाईन नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।)*
- बैंक पास बुक।
- बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व जनपद हापुड़ का होना आवश्यक है ।

सत्यापन का स्थान :– रसायन विज्ञान विभाग।

(प्रो0 नवीन चन्द्र सिंह)
प्राचार्य
Principal
S.S.V. College, Hapur

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(रू0–100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक.....................को (1)कु0/श्रीमती/श्री....................जाति...............निवासी ग्राम/मु0......................तहसील....................जिला......... ....जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है। (2)...................... (संस्थाध्यक्ष), पता.................................जनपद.............................(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित है। नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते है :–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष, सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4– प्रथम पक्ष के आधार सीडेड बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतन 07 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5– प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

6– प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7– उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

8. मैं अपना छात्रवृत्ति फार्म प्रवेश तिथि से 07 दिन के अन्दर महाविद्यालय में अवश्य जमा करूंगा/करूंगी।

प्रथम पक्ष :

हस्ताक्षर.............

नाम ....

पिता/पति का नाम.......................

पता...................

द्वितीय पक्ष :

हस्ताक्षर.....................

नाम......................

पिता/पति का नाम..............

पता..................

साक्षी सं0–1

हस्ताक्षर..............

नाम..........................

पिता/पति का नाम......................

पता.......................

साक्षी सं0–2

हस्ताक्षर..............

नाम व पदनाम.......................

पिता/पति का नाम..............

पता.........................

Scanned with OKEN Scanner